पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
कार्मिक विभाग भोपाल

पत्रांक/:पमरे/का–भो/136/1/एक्ट अप्रे./भर्ती

दिनांक 28/12/2018

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एम.पी.ऑन लाईन लिमिटेड
भोपाल

विषयः–पश्चिम मध्य रेल भोपाल मण्डल में अप्रेटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओ (ट्रेड अप्रेटिस) की भर्ती हेतु एम.पी.ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषय में पश्चिम मध्य रेल भोपाल मण्डल में अप्रेटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओ (ट्रेड अप्रेटिस) की भर्ती हेतु एम.पी.ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये जाने है इस सम्बन्ध में इस कार्यालय का विज्ञापन क्रमांक 01/2018–19 पत्रांक/:पमरे/का–भो/136/1/एक्ट अप्रे./भर्ती दिनांक 28/12/2018 पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को शीध्र अवगत कराये जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– विज्ञापन क्रमांक 01/2018–19 पत्रांक/:पमरे/का–भो/136/1/एक्ट अप्रे./भर्ती दिनांक 28/12/2018 , ANNEXURE सहित

28/12/2018

(जे.आर.कोठारी)
कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल

पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
कार्मिक विभाग भोपाल
दिनांक 28.12.2018

पत्रांक/:पमरे/का–भो/136/1/एक्ट अप्रै./भर्ती

विज्ञापन क्रमांक 01/2018–19

विषयः–अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल।

Opening date of online application	Closing date of online applicaton
10.01.2019	09.02.2019

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में **1600** एक्ट प्रशिक्षुओ की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 09.02.2019 तक www.mponline.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करे:–

1.अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओ की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी:–

A : शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता/– अभ्यार्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT) (Total 1561 seats)

Sr. No	Trade	Number of seats					अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
		GEN	SC	ST	OBC	Total	
1	Fitter	157	46	23	84	310	मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण **तथा** संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT) **अथवा** सम्बंधित ट्रैड में ITI से Dual learningके माध्यम के तहत **अथवा** PMKVY/MES के तहत संबधित ट्रेड में उत्तीर्ण कोर्स
2	Welder (Gas & Electic)	52	15	08	28	103	
3	Electrician	207	61	31	110	409	
4	Wireman	31	09	04	16	60	
5	Machinist	06	02	01	03	12	
6	Carpainter	24	07	03	12	46	
7	A.C. Mechanic	06	02	01	03	12	
8	Painter	32	09	04	16	61	
9	Black Smith	12	04	02	07	25	

-2-

Sr. No	Trade	Number of seats				
		GEN	SC	ST	OBC	Total
10	Meson	22	06	03	12	43
11	Deisal Mechanic	78	23	12	42	155
12	Electronic Mechanic	33	10	05	17	65
13	Cable Joniter	04	....	....	01	5
14	Mechanic Industrial Electronics	05	01	01	03	10
15	Turner	04	01	...	02	7
16	Lineman	05	01	01	03	10
17	Plumber	05	02	01	03	11
18	Gas Cutter	05	01	....	02	8
19	Gardener	19	06	03	10	38
20	Surveyor	06	02	01	03	12
21	Draughtman Civil	05	01	01	03	10
22	Pump Opertor cum Mechanic	14	04	02	07	27
23	Furniture cum cabinit Mechanic	05	01	...	02	8
24	Pipe fitter	07	02	01	04	14
25	Fitter Stractural	02	01	..	01	4
26	Building maintenance Tech.	04	01	..	02	7
27	Architectural Assistant	05	01	..	02	8
28	Interior Decorator & Disigner	04	01	..	02	7
29	Sanitary Hardware fitter	04	01	..	02	7
30	Mechanic Mechatronics	04	01	..	02	7
31	House Keeper	05	01	01	03	10
32	Computure Oprerator & programming Asstt.	26	07	04	13	50

मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण

तथा

संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)

अथवा

सम्बंधित ट्रैड में ITI से Dual learningके माध्यम के तहत

अथवा

PMKVY/MES के तहत संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण कोर्स

B : शैक्षणिक योग्यता / पात्रता(फ्रेशेर हेतु)—अभ्यार्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण (Total 39 seats) Fresher 10th Pass (10+2)

Sr. No	Trade	Number of seats				
		GEN	SC	ST	OBC	Total
1	Fitter	16	05	02	09	32
2	Welder	03	01	...	02	6
3	Carpainter	01	..	..	..	01

नोटः— अधिसूचना मे दर्शाये गये प्रशिक्षु सीटों की संख्या अनंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई व बढाई जा सकती है।

1.1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर हेतु केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे तथा इलेक्ट्रिशियन के पद हेतु केवल अस्थि दोष विकलांग उम्मीदवार (OH) जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे। विकलांगों के लिये आरक्षण नियमानुसार किया जायेगा।विकलांग उम्मीदवारों को केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत का साफ उल्लेख होना चाहिए और फोटो मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

1.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेटिस हेतु भूतपूर्व सैनिक(Ex.Servicemen) उनके बच्चों तथा आर्मड फोर्स व्यक्तियों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। रेल्वे बोर्ड के पत्र सं.E(MPP)2002/6/10/ Dated 31.07.2006 [RBE No.101/2006]

(i) शान्ति समय के दौरान उन मृत / अक्षम सहित दिवंगत / अक्षम भूतपूर्व सेनिक / आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
(ii) अवकाश प्राप्त सैनिक / आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
(iii) कार्यरत जवानो / आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
(iv) कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मड फोर्स अधिकारी के बच्चे
(v) भूतपूर्व सैनिक

2.आयुसीमाः—

2.1 अधिसूचना दिनांक 28.12.2018 को आवेदक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 24 वर्ष की आयु पूर्ण न हो।

2.2 अजा / अजजा के अभ्यार्थी को 05 वर्ष तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थी को 03 वर्ष एवं शारीरिक विकलांग के अभ्यार्थी को उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की अधिकतम छुट देय है। भूतपूर्व सैनिको को भी नियमानुसार छुट रहेगी।

3.फीस :—आवेदन शुल्क के रूप में रू. 100 / — एवं पोर्टल शुल्क रू. 70 / + देय GST का भुगतान करना होगा। अनु.जा., अनु.ज.जा., शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क देय नही है। परन्तु पोर्टल शुल्क देय होगा । फीस Non refundable होगी।

4. विकलांगो एव भूतपूर्व सैनिकों की सीटे अलग नही है बल्कि कुल सीटों की संख्या मे सम्मिलित है।

5. **पारिश्रमिक /स्टाईफन्ड**–वर्तमान प्रचलित दरों से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

6. **आवेदन का तरीका**–

6.1 इच्छुक पात्र अभ्यार्थी www.mponline.gov.in की वेबसाईट पर Home Page में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते है।

6.2 आवेदन करने से पूर्व अभ्यार्थी स्वंय सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी. दोनो स्वंय का हो एवं वैघ हो क्योकि उम्मीदवार से सभी प्रकार का संप्रषण ई–मेल के माध्यम से होगा। नियमित रूप से ई–मेल आई.डी की जॉच करना अभ्यर्थी की स्वंय की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध मे अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

6.3 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, स्वंय की जन्मतिथी, 10 वीं के प्रमाणपत्र एवं अन्य समकक्ष प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी समान होना चाहिए । यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

6.4 यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग–अलग विवरणों के साथ भिन्न भिन्न ई–मेल आई.डी. व मोबाईल नंबर के साथ भरने पर ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

7. चयन की प्रणाली–

7.1. आई.टी.आई एवं नॉन आई.टी.आई. उम्मीदवारों का चयन 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत के मेरिट के आधार पर किया जायेगा। (अधिसूचना के अन्तर्गत आई.टी.आई एवं नॉन आई.टी.आई दोनों की अलग–अलग योग्यता सूचनी (Merit List) बनाई जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्ष अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नही होगी।)

7.2. 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों, संबंधित बोर्ड के नियम के आधार पर की जाएगी। जिन बोर्ड में प्रत्येक विषय का CGPA दर्शाया जाता है उनके लिए 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना के लिए सभी निर्धारित विषयों में प्राप्त ग्रेडों के मिडपोइंट लिया जायेगा एंव उसके औसत की गणना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 माना जायेगा।

7.3. यदि दो उम्मीदवार ने समान अंक प्राप्त किए है तो जो उम्मीदवार उम्र में बढा होगा उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान हों तो उस परिस्थिती में जिस उम्मीदवार ने पहले 10वीं कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी।

7.4. यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले मे यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।

7.5. यदि उपरोक्त बताए तरीके से भी एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारो द्वारा भरा जाएगा। इसी

-5-

प्रकार अन्य पिछडा वर्ग की रिक्त सीटों को भी अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

7.6. अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के **4** गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा लिस्ट www.mponline.gov.inपर प्रकाशित की जायेगी एवं email द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया में सीट खाली रह जाती है तो 2nd round verification के लिए वरीयता अनुसार बुलाया जायेगा।

8. **आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थियों को आर.डी.ए.टी. भोपाल की वेबसाईट <u>www.apprenticesip.gov.in</u> से पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना होगा जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

8.1 RDAT की वेबसाईट पर पंजीयन की प्रक्रिया :–

जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यार्थियों को वेबसाईट <u>www.apprenticeship.gov.in</u> पर जाकर APPRENTICE MENU के अंदर Apply for apprenticeship ऑपशन पर क्लिक करना होगा, फिर RDAT MADHYA PRDESH(BHOPAL) Region पर जाकर DIVISIONAL RAILWAY MANAGER/W.C.R./BHOPAL, के लिए apply करना होगा जिसके बाद पंजीयन संख्या प्राप्त होगी जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

10. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का साफ उल्लेख होना चाहिए। [Annexure-'A']

11. दस्तावेजो के सत्यापन के समय अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए |[Annexure-'B']

12. होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जायेगा। तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

13. **<u>एक्ट अप्रेटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे मे नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।</u>**

14. ट्रेनिंग का करार–ट्रेड अप्रेटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिस का करार करना होगा।

14.1. यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंध के नियम एवं शर्तो का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा और प्रशिक्षु/जमानतदार को अप्रेटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के उपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा।

15. **जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है/या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, वे आवेदन करने के पात्र नही है।**

16. **चिकित्सा परीक्षण :–** जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बलाया जाता है उन सभी आवेदको को शासकिय प्राधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित , जो केन्द्रीय / राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेटिस नियम

1992 के पैरा 4 (समय–समय पर संशोधित))के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (Annexure -C) । चिकित्सा परीक्षण के मानको हेतु कृपया Annexure -D का अवलोकन करें।

17. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महा निदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी । सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

18. उम्मीदवार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा । यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूँठी सूचना दी है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जावेगा।

19. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा एवं यदि उक्त प्रशिक्षुओं के चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रकिया में कोई नीतिगत परिवर्तन मुख्यालय आदि से प्राप्त होते हैं तो चयन का मापदण्ड तदानुसार अपनाया जायेगा।

20. **आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–**

उम्मीदवारों को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वंय सत्यापित scanned copy अपलोड करने होंगेः–

20.1 SSC(Standard 10th) या समकक्ष परीक्षा की अंकसूची ।

20.2 प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो (10वी का प्रमाणपत्र/समकक्ष प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो) ।

20.3 NCVT/SCVT द्वारा जारी NATIONAL TRADE CERTIFICATE OR PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE.

20.4 SC/ST/OBC का जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित फारमेट (Annexure-A,B) **के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।**

20.5 DISABILITY CERTIFICATE -निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

20.6 DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE.– भूतपूर्व सैनिक कोटे के विरूद्ध आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में DISCHRGE CERTIFICATE /SERVING CERTIFICATE अपलोड करना होगा।

उम्मीदवार Online माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई .त्रृटि हुई हो, तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते है तो तदानुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

आवेदन करने के अंतिम दिनों में वेबसाईट ओवरलोड से बचने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के पहले अपना आवेदन आनलाईन सफलतापूर्वक भरे। यदि आनलाईन फार्म भरते समय किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता और समयसीमा निकल जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वंय आवेदन की होगी।

-7-

चयनित उम्मीदवारों की सूची पमरे की वेवसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in एवं www.mponline.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई–मेल द्वारा किया जायेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का पोस्टल पत्राचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– उम्मीदवार अपने Online भरे हुए आवेदन का प्रिंट आवश्यक अपने पास सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बुलाए जाने पर प्रिंट आउट के साथ ही फीस की रसीद, पहचान पत्र आधार कार्ड तथा पैन कार्ड,RDAT/भोपाल वेबसाईट पर किये गये पंजीयन क्रमांक, आरक्षण के दावे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य प्रमाण पत्र, मेडीकल सर्टिफिकेट मद क्रमांक 16 के अनुसार व शैक्षिणिक योग्यता/ तकनीकी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति तथा 4 पासपोर्ट साईज फोटो जो ऑन लाईन आवेदन पर लोड की गई है, लेकर उपस्थित होंगे।

संलग्नः–आवश्यक निर्देश,Annexure A,B,C,& D

28/12/2016

(जे.आर.कोठारी)
कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल

प्रतिलिपिः–महा.प्रबंधक (कार्मिक) जबलपुर को सूचनर्थ ।
मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल को सूचनार्थ
संबंधित शाखा अधिकारी भोपाल मंडल को सूचनार्थ
जिला नियोजन अधिकारी भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद कको सूचनार्थ
समस्त बी.टी.सी भोपाल मंडल को सूचनार्थ
सचिव,वे.से.रे.म.संघ/वे.से.रे.एम्प.यूनियन/ओ.बी.सी/एस.सी.एस.टी. एसोसिएशन भोपाल को सूचनार्थ
निदेशक, आर.डी.ए.टी.भोपाल/कानपूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
प्राचार्य आदर्श आई.टी.आई. गोविन्दपुरा भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, गुना, शाजापुर खंडवा, हरदा को सूचनार्थ
मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक कोटा,जबलपुर/मुख्य. कारखाना प्रबंधक कोटा, निशातपुरा एवं समस्त शाखा अधिकारी भोपाल
सूचना पटल ।

28/12/2016
कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल